

न्यायालय: श्यामाचरण उपाध्याय, सत्र न्यायाधीश विदिशा (म०प्र०)

सारणी - बी

आपराधिक प्रकरण

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	18.03.2020	20.04.2020
2	19.03.2020	21.04.2020
3	20.03.2020	22.04.2020
4	23.03.2020	23.04.2020
5	24.03.2020	24.04.2020
6	26.03.2020	27.04.2020
7	27.03.2020	28.04.2020
8	28.03.2020	29.04.2020
9	30.03.2020	30.04.2020
10	31.03.2020	04.05.2020

(श्यामाचरण उपाध्याय)
श्यामाचरण उपाध्याय
विदिशा म०प्र०
विदिशा (म.प्र.)

न्यायालय: श्यामाचरण उपाध्याय, जिला न्यायाधीश विदिशा (म0प्र0)

सारणी -ए

सिविल प्रकरण


क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	18.03.2020	03.04.2020
2	19.03.2020	04.04.2020
3	20.03.2020	07.04.2020
4	23.03.2020	08.04.2020
5	24.03.2020	09.04.2020
6	26.03.2020	15.04.2020
7	27.03.2020	16.04.2020
8	28.03.2020	17.04.2020
9	30.03.2020	20.04.2020
10	31.03.2020	21.04.2020

(श्यामाचरण उपाध्याय)
श्यामाचरण उपाध्याय
जिला न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

न्यायालय- विशेष न्यायालय अनु० जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, विदिशा म०प्र०
सूचना-पत्र
पक्षकार एवं अधिवक्तागण हेतु

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11-15-7/2020, जबलपुर दिनांक 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/आरजी/2020, 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार सगस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं सिविल मामलों में अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित स्थगन मामलों में अति आवश्यक कार्य ही किये जायेंगे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित हैं, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार, इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये दिनांकों को प्रकरण उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति ग्राह्य किये जायेंगे।

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	01.05.2020
02	20.03.2020	02.05.2020
03	23.03.2020	04.05.2020
04	24.03.2020	05.05.2020
05	26.03.2020	06.05.2020
06	27.03.2020	08.05.2020
07	28.03.2020	09.05.2020
08	30.03.2020 एवं 31.03.2020	11.05.2020



(योगेश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, विदिशा
विशेष न्यायाधीश (अ.जा.अनु.जाति)
विदिशा ज.प.

न्यायालय- एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (प्र0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0


दिनांक 19.03.2020

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 354 दि. 17.03.2020 के निर्देशानुसार प्रकरणों की सुनवाई स्थागित की गई है। सूची की कड़िका तीन में नियत दिनांक को पूर्व के प्रक्रम पर रखकर प्रकरण सुनवाई हेतु लिए जावेंगे -

क.	प्रकरण क.	नियत दिनांक
1	Spl C.N. 19/17 शा. वि. दशरथ	27.05.2020
2	Spl C.N. 13/17 शा. वि. गजेन्द्र आदि	28.05.2020
3	Spl C.N. 33/18 शा. वि. बृजेन्द्र आदि	20.04.2020
4	Spl C.N. 07/18 शा. वि. बलवीर	18.04.2020
5	Spl C.N. 20/18 शा. वि. शेरसिंह	18.04.2020
6	Spl C.N. 01/12 शा. वि. शीतल आदि	08.04.2020
7	Spl C.N. 12/17 शा. वि. श्रीराम	03.04.2020
8	MJC 29/19 शा. वि. डॉ. अरूणा जारोलिया	14.05.2020
9	HC Cr. A 284/11 आकाश वि. शासन	13.06.2020
10	HC Cr. A 79/10 रंजीत वि. शासन	13.06.2020
11	HC Cr. A 317/08 रमेश आदि वि. शासन	13.06.2020
12	HC Cr. A 14/13 के.पी.चंदेरिया वि. शासन	13.06.2020
13	Cr. No. 103/20 कोतवाली वि. अमर बाल्मिकी	01.04.2020



(एम.एस.तोमर)
विशेष न्या. एन.डी.पी.एस.एक्ट
एवं विशेष न्या. प्र.नि.अधि.
विदिशा म0प्र0



19/3/20

न्यायालय- एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 354 दि. 17.03.2020 के निर्देशानुसार प्रकरणों की सुनवाई स्थगित की गई है। सूची की कंडिका तीन में नियत दिनांक को पूर्व के प्रक्रम पर रखकर प्रकरण सुनवाई हेतु लिए जावेगे -

दिनांक 20.03.2020

क.	प्रकरण क.	नियत दिनांक
1	Spl C.N. 22/18 शा. वि. अनिल मीना	29.05.2020
2	Spl C.N. 33/17 शा. वि. देवेन्द्रसिंह	28.05.2020
3	Spl C.N. 29/17 शा. वि. कमलसिंह	17.04.2020
4	Spl C.N. 06/17 लोका. वि. लक्ष्मीनारायण	08.04.2020
5	Spl C.N. 11/19 शा. वि. संगीता	04.04.2020
6	Spl C.N. 23/17 शा. वि. नीरज	08.04.2020
7	MJC 100/18 शा. वि. राजेश यादव	22.06.2020
8	MJC 101/18 शा. वि. निहालसिंह	22.06.2020
9	MJC 102/18 शा. वि. राजू	22.06.2020
10	MJC 38/20 शा. वि. राजेश तिवारी	20.04.2020

दिनांक 23.03.2020

1	Spl C.N. 35/17 शा. वि. बब्लू साहू	02.06.2020
2	Spl C.N. 39/18 शा. वि. नीरज	29.05.2020
3	Spl C.N. 01/17 शा. वि. विजयसिंह	20.04.2020
4	Spl C.N. 03/16 शा. वि. दीपक आदि	20.04.2020
5	Spl C.N. 26/17 शा. वि. प्रमोद	15.04.2020
6	Spl C.N. 21/18 शा. वि. विजयसिंह	17.04.2020
7	Spl C.N. 16/18 शा. वि. कमरसिंह	17.04.2020
8	Spl C.N. 17/18 शा. वि. विनोद	03.04.2020

(एम.एस.तोमर)

विशेष न्या. एन.डी.पी.एस.एक्ट
एवं विशेष न्या. भ्र.नि.अधि. विदिशा म0प्र0

न्यायालय— एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 354 दि. 17.03.2020 के निर्देशानुसार प्रकरणों की सुनवाई स्थगित की गई है। सूची की कंडिका तीन में नियत दिनांक को पूर्व के प्रक्रम पर रखकर प्रकरण सुनवाई हेतु लिए जावेगे -

दिनांक 24.03.2020

क.	प्रकरण क.	नियत दिनांक
1	Spl C.N. 14 / 17 शा. वि. सुनीता बाई	02.06.2020
2	Spl C.N. 11 / 17 शा. वि. रवि आदि	03.06.2020
3	Spl C.N. 05 / 16 लोका. वि. निर्मला वर्मा	15.04.2020
4	Spl C.N. 07 / 17 शा. वि. पुष्पाबाई	20.04.2020
5	Spl C.N. 24 / 18 शा. वि. जगदीश आदि	20.04.2020
6	Spl C.N. 11 / 18 शा. वि. लालता प्रसाद	04.04.2020
7	Spl C.N. 03 / 17 शा. वि. घासीराम	03.04.2020

दिनांक 26.03.2020

1	Spl C.N. 03 / 20 शा. वि. वीरेन्द्र उर्फ वीरू	05.06.2020
2	Spl C.N. 32 / 19 शा. वि. छोटेलाल	04.06.2020
3	Spl C.N. 05 / 18 शा. वि. राजेश उर्फ राजू	04.06.2020
4	Spl C.N. 12 / 18 शा. वि. रनवीर	03.06.2020
5	Spl C.N. 01 / 18 लोका. वि. श्रवण साहू	16.04.2020
6	Spl C.N. 02 / 17 शा. वि. अमित आदि	17.04.2020




(एम.एस.तोमर)
विशेष न्या. एन.डी.पी.एस.एक्ट
एवं विशेष न्या. भ्र.नि.अधि.
विदिशा म0प्र0

न्यायालय— एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 354 दि. 17.03.2020 के निर्देशानुसार प्रकरणों की सुनवाई स्थगित की गई है। सूची की कंडिका तीन में नियत दिनांक को पूर्व के प्रक्रम पर रखकर प्रकरण सुनवाई हेतु लिए जावेगे -

<u>दिनांक 27.03.2020</u>		
क.	प्रकरण क.	नियत दिनांक
1	Spl C.N. 41/17 शा. वि. सलमा बी	05.06.2020
2	Spl C.N. 08/19 शा. वि. अनीश	21.04.2020
3	Spl C.N. 40/19 शा. वि. गोविंद	21.04.2020
4	Spl C.N. 25/18 शा. वि. नरेन्द्र	21.04.2020
5	Spl C.N. 16/17 शा. वि. विकास	17.04.2020
<u>दिनांक 28.03.2020</u>		
1	Spl C.N. 07/20 शा. वि. सूबेदार आदि	15.04.2020
2	Spl C.N. 04/17 लोका. वि. अरुण आदि	11.04.2020
3	Spl C.N. 03/19 शा. वि. सुनीता	11.04.2020
<u>दिनांक 30.03.2020</u>		
1	Spl C.N. 01/20 लोका. वि. श्यामनारायण	16.04.2020
2	Spl C.N. 42/19 शा. वि. विशन आदि	05.06.2020
3	Spl C.N. 40/18 शा. वि. श्यामबाबू	24.04.2020
<u>दिनांक 31.03.2020</u>		
1	Spl C.N. 29/19 शा. वि. हल्कई	08.06.2020
2	HC. Cr. A 751/2000 तोरनसिंह वि. शा.	29.05.2020



एकलव्य प्रत

(एम.एस.तोमर)

विशेष न्या. एन.डी.पी.एस.एक्ट
एवं विशेष न्या. भ्र.नि.अधि.
विदिशा म0प्र0


न्यायालय— द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(POCSO) विदिशा म0प्र0

नियत दिनांक	आगामी दिनांक
20 / 03 / 2020	15 / 04 / 2020
23 / 03 / 2020	17 / 04 / 2020
24 / 03 / 2020	20 / 04 / 2020
26 / 03 / 2020	21 / 04 / 2020
27 / 03 / 2020	22 / 04 / 2020
28 / 03 / 2020	23 / 04 / 2020
30 / 03 / 2020	24 / 04 / 2020
31 / 03 / 2020	27 / 04 / 2020

PA 19/3/2020

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (POCSO)
विदिशा (म0प्र0)



रुक प्रति प्राप्त

Shilpy
19/3/20

न्यायालय:- प्रशांत कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा, म०प्र०

सूचना-पत्र
पक्षकार एवं अधिवक्तागण हेतु

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/II-15-7/2020, जबलपुर दिनांक 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/आरजी/2020, 17.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं सिविल मामलो में अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित स्थगन मामलो में अति आवश्यक कार्य ही किये जायेंगे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये दिनांको के प्रकरण उनके सम्मुख अंकित आगामी नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति ग्राह्य किये जायेंगे।

आपराधिक प्रकरण

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	20.04.2020
02	20.03.2020	03.04.2020
03	23.03.2020	09.04.2020
04	24.03.2020	28.04.2020
05	26.03.2020	27.04.2020
06	27.03.2020	22.04.2020
07	28.03.2020	17.04.2020
08	30.03.2020	01.04.2020
09	31.03.2020	03.04.2020

(प्रशांत कुमार)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
जिला विदिशा (म.प्र.)

सिविल प्रकरण

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	15.04.2020
02	20.03.2020	16.04.2020
03	23.03.2020	17.04.2020
04	24.03.2020	21.04.2020
05	26.03.2020	22.04.2020
06	27.03.2020	23.04.2020
07	28.03.2020	28.04.2020
08	30.03.2020	29.04.2020
09	31.03.2020	30.04.2020

(प्रशांत कुमार)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा, म.प्र.
(प्रशांत कुमार)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
जिला विदिशा (म.प्र.)

न्यायालय-चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश विदिशा (म0प्र0)

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी / इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी / 1674 / 11 - 15-7 / 2020, जबलपुर दिनांकित 16.03.20 एवं एडवायजरी क्र0 345 / आरजी / 2020 17.03.20 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जायेगा। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे।

प्रकरण आगामी तिथियों पर पूर्व नियत प्रक्रम पर ही सुनवाई में लिये जावेंगे।

<u>दीवानी प्रकरण</u>		<u>फौजदारी प्रकरण</u>	
<u>नियत दिनांक</u>	<u>आगामी नियत दिनांक</u>	<u>नियत दिनांक</u>	<u>आगामी नियत दिनांक</u>
19.03.20	09.04.20	19.03.20	03.04.20
20.03.20	15.04.20	20.03.20	04.04.20
23.03.20	16.04.20	23.03.20	07.04.20
24.03.20	17.04.20	26.03.20	08.04.20
26.03.20	18.04.20	27.03.20	08.04.20
27.03.20	20.04.20	30.03.20	09.04.20
28.03.20	21.04.20		
30.03.20	22.04.20		
31.03.20	23.04.20		

न्यायालय –प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विदिशा के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

सूचना पत्र

पक्षकार एवं अधिवक्तागण हेतु

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायसरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रं बी/1674/11-15-7/2020ए जबलपुर दिनांक 16.03.2020 एवं एडवायसरी क्रं 345/आरजी/2020, 17.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं सिविल मामलों में अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित स्थगन मामलों में अति आवश्यक कार्य ही किये जायेंगे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क सम्मिलित हैं, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गए दिनाकों के प्रकरण उनके सम्मुख अंकित आगामी नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति ग्राह्य किये जायेंगे।

आपराधिक प्रकरण

क्रं	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	दिनांक 23.03.2020	दिनांक 03.04.2020
	दिनांक 19.03.2020	दिनांक 04.04.2020
	दिनांक 20.03.2020	दिनांक 07.04.2020
	दिनांक 24.03.2020	दिनांक 08.04.2020
	दिनांक 26.03.2020	दिनांक 09.04.2020
	दिनांक 27.03.2020	दिनांक 15.04.2020
	दिनांक 28.03.2020	दिनांक 16.04.2020
	दिनांक 30.03.2020	दिनांक 17.04.2020
	दिनांक 31.03.2020	दिनांक 18.04.2020

सिविल प्रकरण

कं	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
	दिनांक 19.03.2020	दिनांक 04.04.2020
	दिनांक 20.03.2020	दिनांक 08.04.2020
	दिनांक 23.03.2020	दिनांक 09.04.2020
	दिनांक 24.03.2020	दिनांक 15.04.2020
	दिनांक 26.03.2020	दिनांक 16.04.2020
	दिनांक 27.03.2020	दिनांक 17.04.2020
	दिनांक 28.03.2020	दिनांक 18.04.2020
	दिनांक 29.03.2020	दिनांक 20.04.2020
	दिनांक 30.03.2020	दिनांक 21.04.2020

(आत्माराम टांक)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विदिशा
के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त
न्यायाधीश विदिशा (म.प्र.)

न्यायः-बाबी जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, विदिशा

क्रमांक 120/20


विदिशा, दिनांक-18.03.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकट में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11-15-7/2020, जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्रमांक 345/आरजी/2020, दिनांक 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावे। शेष कार्यवाहिया, जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित हैं, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवायी हेतु यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किये जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	07.04.2020
02	20.03.2020	08.04.2020
03	23.03.2020	09.04.2020
04	24.03.2020	15.04.2020
05	26.03.2020	16.04.2020
06	27.03.2020	17.04.2020
07	28.03.2020	20.04.2020
08	30.03.2020	21.04.2020
09	31.03.2020	22.04.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।


 बाबी जुनेजा
 न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
 विदिशा First Class
 Madhya Pradesh (M.P.)

न्यायालय आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विदिशा म0प्र0

जावक क्र०...../2020

विदिशा, दिनांक 18.03.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्र० बी/1674/11-15-7/2020, जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/आरजी/2020, 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित हैं, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदानुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवायी हेतु यथा स्थिति सुनवायी हेतु ग्राह्य किये जायेंगे।

समस्त प्रकार के आपराधिक एवं सिविल प्रकरणों की नियत दिनांक की सुनवाई की जाने वाली आगामी नियत दिनांक की सूची।

तदानुसार पक्षकारगणों को सूचित किये जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ, विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	02.05.2020
02	20.03.2020	04.05.2020
03	23.03.2020	05.05.2020
04	24.03.2020	06.05.2020
05	26.03.2020	08.05.2020
06	27.03.2020	11.05.2020
07	28.03.2020	14.05.2020
08	30.03.2020	15.05.2020
09	31.03.2020	18.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

(आरती आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विदिशा म0प्र0

**न्यायालय-कृष्णा अग्रवाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा
के न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो विदिशा म0प्र0**

जावक क्रमांक :-...../20

विदिशा, दिनांक

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श प्र0क0 बी/1674/11.15-07/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क0 345/आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल नियत प्रकरणों की तिथियां


क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	03.04.2020
02	20.03.2020	04.04.2020
03	23.03.2020	07.04.2020
04	24.03.2020	08.04.2020
05	26.03.2020	09.04.2020
06	27.03.2020	11.04.2020
07	28.03.2020	15.04.2020
08	30.03.2020	16.04.2020
09	31.03.2020	17.04.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

(कृष्णा अग्रवाल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

0/1



न्यायालय:- कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा

(म0प्र0)

जावक क्रमांक :- 452 / 20

विदिशा, दिनांक 10 / 3 / 20

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श प्र0क0 बी/1674/11.15-07/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवाइजरी क0 345/आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।


आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	01.05.2020
02	20.03.2020	02.05.2020
03	23.03.2020	04.05.2020
04	24.03.2020	05.05.2020
05	26.03.2020	08.05.2020
06	27.03.2020	09.05.2020
07	28.03.2020	11.05.2020
08	30.03.2020	12.05.2020
09	31.03.2020	13.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

नोट:- जील प्रमुख दो532

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
विदिशा (म0प्र0)



न्यायालय :- किरण वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, विदिशा (म0प्र0)

जावक क्रमांक /

/2020

विदिशा दिनांक 18.03.2020

—00—

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11-15-7/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्रमांक 345/आर.जी./2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत सम्बंधी एवं स्थगन से सम्बंधित अति-आवश्यक कार्य ही किया जावे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित हैं, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदानुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाई गयी नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवायी हेतु यथा स्थिति सुनवायी हेतु ग्राह्य किये जायेंगे।

तदानुसार पक्षकारगणों को सूचित किये जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ, विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

S.No.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	18-03-2020	08-04-2020
02	19-03-2020	08-04-2020
03	20-03-2020	08-04-2020
04	23-03-2020	09-04-2020
05	24-03-2020	15-04-2020
06	26-03-2020	15-04-2020
07	27-03-2020	15-04-2020
08	28-03-2020	16-04-2020
09	30-03-2020	16-04-2020
10	31-03-2020	16-04-2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

(किरण वर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
विदिशा (म.प्र.)

न्यायालय: वरुण चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा के
न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक...../2020

विदिशा दिनांक 18.03.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11:15-7/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/ आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहीयों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अकिंत नियत दिनांक को यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगण को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	19.03.2020	03.04.2020
02	20.03.2020	21.04.2020
03	23.03.2020	22.04.2020
04	24.03.2020	23.04.2020
05	26.03.2020	24.04.2020
06	27.03.2020	27.04.2020
07	28.03.2020	29.04.2020
08	30.03.2020	30.04.2020
09	31.03.2020	04.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चरपा की जावे।

वरुण चौहान,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- दो विदिशा
के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग- दो विदिशा (म0प्र0)